

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर  
द्वारा संख्या... 759231.....  
दिनांक 28/04/15 राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-5) विभाग

14514  
अत्यावश्यक

क्रमांक: प. 9(14)गृह-5/2015

महानिदेशक पुलिस,  
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक 20.04.2015  
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ बोर्ड  
क्रमांक 304  
दिनांक 28/04/15

विषय:-वक्फ सम्पतियों पर अतिक्रमण हटाने हेतु पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया पुलिस अपराध शाखा द्वारा जारी परिपत्र संख्या 4(2)सीआईडी/सीबी/जन/85/2499-2533 दिनांक 28.12.85 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करें जिसके द्वारा सम्पदा अधिकारियों को आवश्यकता पडने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने हेतु समस्त रेंज महानिरीक्षकों व समस्त पुलिस अधीक्षकों को पूर्व में निर्देश दिये हुये है। विभाग की जानकारी में लाया गया है कि कुछ प्रकरणों में इस आदेश की पालना में अतिक्रमियों की बेदखली हेतु पुलिस सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि अतिक्रमियों की बेदखली हेतु सम्पदा अधिकारियों को पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने के लिये समस्त संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Sd -  
(जगदीप सिंह कुशवाह)  
शासन उप सचिव,  
गृह (सुरक्षा) विभाग

JS (MAJ)  
28/4  
प्रतिलिपि:-अतिरिक्त मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ बोर्ड, राजस्थान जयपुर को उनके अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 537 दिनांक 10.03.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शासन उप सचिव,  
गृह (सुरक्षा) विभाग